

फर्द अहकाम

क्रमांक 15 बनाम काराफज
 59

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

दस्तावेज संख्या 7.1.2.2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.12.25	वकूलाय फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/अवकाश/प्रशा.कार्यो में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 27.01.26 को पेश की।	
29.1.26	वकूलाय फरीकेन उपस्थित वकीलो ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 24.2.26 को पेश की।	
24/02/26	पत्रावली पेश की जाते वही उपस्थित वकील ने रिफ्रेज किया कि वादपत्र के आगे कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहिए। वादपत्र को खारिज कर दिया जाने जखब परमन किया। पत्रावली का नवलेखन किया। वाडि वकील का रिफ्रेज स्वीकार कर वादपत्र को स्ना पट पिडो कर खारिज किया जाता है पत्रावली केवल शुमार होकर दर्ज क्रमांक से कम हो वाड खारिज इतर है।	

उपखण्ड अधिकारी
 पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)